रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 1969 (आश्विन 5, 1891)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 1969 (ASVINA 5, 1891)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 6 सितम्बर 1969 तक प्रकाशित किये गये हैं :

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 6th September 1969 :

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)

—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	685
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	1099
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	977
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	3021
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	4115
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	449
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	925
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें .	349
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं .	99
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं .	556
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . .	181
पूरक संख्या 39—	
20 सितम्बर 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	1659
30 अगस्त 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़ें .	1673

	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	685
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1099
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	977
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3021
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	4115
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	449
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	925
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta..	349
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	99
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	553
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	181
SUPPLEMENT No. 39—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 20th September 1969 ..	1659
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 30th August 1969	1673

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग—भ० कृ० अनु० परि०)

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 1969

सं० 29-1/69-समन्वय (1)/भा० कृ० अनु० परि०—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 29-1/69-समन्वय (1), दिनांक 16 जुलाई 1969 के सिलसिले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की कृषि शिक्षा की स्थायी समिति में 3 सितम्बर 1969 से 7 जुलाई 1972 की अवधि तक अपने प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए हैं।

1. डा० पी० एन० मेहरा,
   प्रोफेसर वनस्पति शास्त्र,
   पंजाब विश्वविद्यालय,
   चंडीगढ़।

2. डा० आर० एम० चौधरी,
   डीन,
   कृषि संकाय,
   बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
   वाराणसी।

के० पी० ए० मेनन, संयुक्त सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 1969

सं० 7-13/69-टी० 6—भूतपूर्व इस्पात खान तथा ईंधन मन्त्रालय के संकल्प संख्या 315 (1)/57 एम० 3 दिनांक 4 मई, 1957 के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्थापित तथा शिक्षा मन्त्रालय की यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 7-15/67-टी० 6 दिनांक 29 जून 67 द्वारा पुनर्गठित, भारतीय खनन स्कूल, धनबाद की शासी परिषद को 16 अगस्त, 1969 से भंग कर दिया गया है।

जी० एन० वासवानी, उप-शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 1969

सं० एफ० 8-12 ए०/64/टी०-6—जैसा कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की संपत्ति और निधि के प्रशासन और प्रबन्ध के लिए वर्तमान योजना के खंड 7-2 (ए०) में संस्थान के काम-काज और प्रगति की एक समीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षण की व्यवस्था है।

इसलिए, अब उक्त खंड 7.2 (ए०) द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने संस्थान के वीक्षक (विजिटर) की हैसियत से भारतीय विज्ञान संस्थान के काम-काज की समीक्षा हेतु एक समीक्षा समिति नियुक्त की है जिसका गठन तथा जिसे सौंपे गए कार्य निम्नलिखित होंगे:—

गठन

अध्यक्ष — प्रो० टी० आर० शेषाद्रि, एफ० आर० एस०
एमीरीटस प्रोफेसर,
रसायन शास्त्र विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

सदस्य

1. डा० ए० आर० वर्मा,
   निदेशक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
   नई दिल्ली।
2. डा० ए० के० कमल,
   अध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स और संचार इंजीनियरी
   विभाग रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की।
3. डा० वी० के० बच्छावत,
   जीव रसायन के प्रोफेसर तथा तंत्रिका रसायन
   प्रयोगशाला के निदेशक क्रिश्चियन कालेज,
   वैल्लौर।
4. डा० वल्लुरी,
   निदेशक, राष्ट्रीय वैमानिक अनुसन्धान प्रयोग-
   शाला, बंगलौर।
5. प्रो० के० बी० मेनन,
   इलक्ट्रिकल इंजीनियरी के प्रोफेसर
   भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
   खड़गपुर।
6. डा० जी० एस० लाधा,
   निदेशक ए० सी० प्रौद्योगिकी, कालेज,
   मद्रास विश्वविद्यालय,
   मद्रास-25।

सलाहकार

1. डा० डब्ल्यू० एच० पिकेरिंग,
   निदेशक, जैट प्रणोदन प्रयोगशाला,
   कलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान,
   पासाडेना, कलिफोर्निया, अमरीका।

2. डा० एम० जे० लाइटहिल, एफ० आर० एस०,
रायल सोसाइटी, अनुसन्धान प्राफेसर,
इम्पीरियल कालेज, आफ साइन्स एण्ड टैक्नोलोजी, लन्दन ।

3. विद्वान एम० एम० शेमयाकिन,
निदेशक प्राकृतिक मिश्रण रसायन संस्थान,
सोवियत रूस की विज्ञान अकादमी,
मास्को ।

सचिव श्री जी० एन० घासवानी,
उप-शिक्षा सलाहकार (तकनीकी),
शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय,
नई दिल्ली ।

विचारार्थ विषय

(i) विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में उच्च अध्ययन और अनुसन्धान के केन्द्र के रूप में संस्थान के काम-काज की सभी पहलुओं से समीक्षा करना ।

(ii) संस्थान के विकास के लिए मोटे तौर पर और विशेषत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए अन्तरविषयक क्षेत्रों में और विकास की प्राथमिकताओं की दृष्टि से विभागों के बीच सहयोग के संबंध में सलाह देना; और

(iii) संस्थान के संगठन, कार्य और पुर पुनरनुस्थापन के संबंध में उसके भावी विकास के लिए आवश्यक किन्ही अन्य पहलुओं के बारे में सिफारिशें करना ।

2. समिति अक्तूबर, 1969 से बंगलौर में अपना कार्य आरम्भ कर देगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति निम्नलिखितों को प्रेषित कर दी जाए ।

1. **सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ।**
2. **मुख्य सचिव, मैसूर सरकार, बंगलौर ।**
3. **कुल सचिव, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर-12 ।**
4. **समिति के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव ।**
5. **इंग्लैण्ड में भारत का उच्च आयोग/मास्को स्थित सोवियत रूस में भारत का दूतावास/वाशिंगटन स्थित अमरीका में भारत का दूतावास ।**
6. **भारत सरकार के सभी मंत्रालय ।**
7. अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।

और यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये ।

एल० एस० चन्द्रकान्त, संयुक्त शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 1969

विषय : हिन्दी शिक्षा समिति-पुनर्गठन

सं० एफ० 1-8/69 एच०-I—शिक्षा मंत्रालय के संकल्प सं० एफ० 1-12/65 एच०-I दिनांक 4 नवम्बर 1965 में आंशिक संशोधन करते हुए उपरोक्त संकल्प में निम्नलिखित को जोड़ने का निश्चय किया जाता है । यह संशोधन तुरन्त लाग हो जाएगा ।

पैरा-I संगठन

पैरा I (XII) के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ दी जाए ।

(XIII) निदेशक, केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर ।

पैरा I की वर्तमान प्रविष्टि (XIII) को दुबारा संख्या देकर (XIV) कर दिया जाए ।

नलिन माधव ठाकुर,
उप-शिक्षा सलाहकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघीय प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोकसभा-राज्यसभा सचिवालय, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को एवं निदेशक, केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में सर्वसाधारण के सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

निरंकार स्वरूप भटनागर,
अनु सचिव

रेल मन्त्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 1969

सं० ई० 67 ओ० जी० 1/10/आर० बी० 1(1)—भारत सरकार ने विनिश्चय किया है कि सचिव, रेलवे बोर्ड तात्कालिक प्रभाव से रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव के रूप में काम करेंगे ।

पुरुषोत्तम लाल, उप-सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 27 सितम्बर 1969

नियमावली

सं० 4/1/69 सी० आई० एस०, दिनांक 18-9-69—केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड IV की अस्थायी रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगता परीक्षा के नियम सामान्य सूचना के लिये प्रकाशित किये जाते हैं ।

2. संघ लोक सेवा आयोग इस नियमावली के परिशिष्ट III में निर्धारित तरीके से परीक्षाएं लेगा ।

परीक्षा की तारीखें और स्थान आयोग द्वारा निश्चित किये

3. उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई एक अवश्य होना चाहिये :—

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में आया कोई तिब्बती शरणार्थी।

(च) भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और केन्या, उगान्डा के पूर्वी अफ्रीकी देशों तथा संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित भारतीय मूल का कोई व्यक्ति।

परन्तु शर्त यह है कि (ग), (घ), (ङ) और (च) श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो, जिसे भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र जारी कर दिया हो।

नीचे दी गई किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा :—

(i) 19 जुलाई, 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित ऐसे व्यक्ति जो तब से साधान्यतया भारत में रह रहे हों।

(ii) 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन भारत के नागरिक के रूप में अपने आप को पंजीकृत करा लिया हो।

(iii) उपर्युक्त (च) के अधीन आने वाले ऐसे गैर-नागरिक जो संविधान के लागू होने अर्थात् 26 जनवरी 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में प्रविष्ट हो गए हों और जो तब से ऐसी सेवा में हों। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद ऐसी सेवा में सेवाभंग सहित प्रविष्ट हुए या प्रविष्ट होने वाले उम्मीदवारों को सामान्य तरीके से पात्रता प्रमाणपत्र लेना होगा।

किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि सरकार उसे आवश्यक प्रमाणपत्र दे दे।

4. किसी भी ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में दो बार से अधिक नहीं बैठने दिया जाएगा, जो किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन-जाति का न हो या पांडिचेरी संघ-क्षेत्र का निवासी न हो या गोवा दमन और दीव संघ क्षेत्र, का निवासी न हो या केन्या, उगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जन्जीबार) से प्रव्रजित न हो।

नोट—यदि उम्मीदवार एक या एक से अधिक प्रश्न पत्रों की परीक्षा में वास्तव में बैठ चुका हो तो उसे परीक्षा में बैठा हुआ माना जाएगा।

5. (क) यह परीक्षा देने वाला उम्मीदवार 1 जनवरी, 1970 को 21 वर्ष की आयु का होना चाहिये तथा 25 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिये अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी 1945 से पहले और 1 जनवरी, 1949 के बाद का नहीं होना चाहिये।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु-सीमा में छूट दी जाएगी :—

(i) अधिकतम पांच वर्ष तक यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का हो;

(ii) अधिकतम तीन वर्ष तक, यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो;

(3) अधिकतम आठ वर्ष तक, यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और पूर्वी पाकिस्तान का विस्थापित व्यक्ति भी हो तथा 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो;

(4) अधिकतम पांच वर्ष तक यदि उम्मीदवार पांडिचेरी संघ क्षेत्र का निवासी हो और उसने किसी स्तर पर फ्रेंच के माध्यम से शिक्षा पाई हो;

(5) अधिकतम तीन वर्ष तक, यदि उम्मीदवार श्रीलंका से भारत मूल का वास्तविक देश प्रत्यावर्तित हो और अक्तूबर 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर 1964 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो;

(6) अधिकतम आठ वर्ष तक यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से भारतीय मूल का वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भी हो तथा अक्तूबर 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर 1964 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो;

(7) अधिकतम तीन वर्ष तक यदि उम्मीदवार गोवा, दमन और दीव संघ क्षेत्र का निवासी हो;

(8) अधिकतम तीन वर्ष तक यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगान्डा या संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार से प्रव्रजित हुआ हो;

(9) अधिकतम तीन वर्ष तक यदि उम्मीदवार बर्मा से भारतीय मूल का वास्तविक देश प्रत्यावर्तित हो और 1-6-1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो;

(10) अधिकतम आठ वर्ष तक यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और बर्मा से भारतीय मूल का वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भी हो तथा 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो;

(11) ऐसे रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो किसी बाहरी देश के साथ हुए युद्ध के दौरान या अशान्ति क्षेत्र में संक्रियाओं में अशक्त हो गए हों और इसके फलस्वरूप उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया गया हो;

(12) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष तक जो किसी बाहरी देश के साथ हुए युद्ध के दौरान या अशान्ति क्षेत्र में संक्रियाओं में अशक्त हो गए हों और इसके फलस्वरूप उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया गया हो।

उपर्युक्त उपबंधों को छोड़ कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी दशा में छूट नहीं दी जायेगी।

6. उम्मीदवार के पास इस नियमावली के परिशिष्ट I में उल्लिखित किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी आवश्यक है या उसके पास इस नियमावली के परिशिष्ट II में उल्लिखित कोई भी योग्यता होनी आवश्यक है।

नोट I—ऐसा उम्मीदवार भी इस परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन कर सकता है जो किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका है जिसके पास कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है लेकिन जिसके परिणाम की सूचना उसे नहीं मिली है। इस प्रकार को अर्हता परीक्षा में बैठने का इच्छुक उम्मीदवार भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि अर्हता परीक्षा इस परीक्षा के आरम्भ होने से पूर्व हो चुकी हो। इस प्रकार के उम्मीदवार को, अन्यथा पात्र होने पर, परीक्षा में प्रविष्ट किया जायेगा लेकिन प्रवेश को अनन्तिम माना जायेगा और यदि उम्मीदवार यथाशीघ्र किसी भी दशा में इस परीक्षा के आरम्भ होने के दो मास के भीतर परीक्षा पास करने का प्रमाण नहीं देगा तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

नोट II—संघ लोक सेवा आयोग अपवाद स्वरूप किसी ऐसे उम्मीदवार को अर्हक उम्मीदवार मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त योग्यताएं न हों बशर्ते कि उसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर, आयोग की राय में, उसे परीक्षा में प्रवेश देने के लिये न्यायसंगत हो।

नोट III—अन्यथा पात्र उम्मीदवार, जिसने किसी ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो जो परिशिष्ट I में शामिल नहीं है, भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग के विवेक पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।

7. (क) कोई भी ऐसा पुरुष उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी भी दशा में विवाह कर लेता है और यह विवाह इस प्रकार की पत्नी के जीवन-काल में होने के कारण शून्य हो जाता है। परन्तु भारत सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उसके द्वारा ऐसे कार्य के किये जाने का विशेष आधार है तो वह किसी भी उम्मीदवार पर यह नियम लागू होने की छूट दे सकती है।

(ख) कोई भी ऐसी महिला उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति की पात्र नहीं होगी जिसका विवाह इसलिये शून्य हो गया है कि उसके विवाह के समय उसके पति की पहली पत्नी जीवित थी अथवा जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है जिसके उसके साथ विवाह के समय एक पत्नी जीवित थी। परन्तु भारत सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उसके द्वारा ऐसे कार्य के किये जाने का विशेष आधार है तो वह किसी भी महिला उम्मीदवार पर यह नियम लागू होने की छूट दे सकती है।

8. पहले से ही सरकारी सेवारत उम्मीदवार को, चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, परीक्षा में बैठने के लिये अपने विभाग-ध्यक्ष से पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

9. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये और उसे किसी गठन संबंधी दोष से मुक्त होना चाहिये जिसके कारण सेवा में अधिकारी के रूप में अपनी ड्यूटी पूरी करने में उसे बाधा पड़ने की संभावना हो। यथा स्थिति, सरकार के या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के बाद यदि कोई उम्मीदवार इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगा तो उसकी नियुक्ति नहीं की जायेगी। आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिये बुलाए गए किसी भी उम्मीदवार से अपनी डाक्टरी जांच करवाने के लिये कहा जा सकता है।

10. किसी उम्मीदवार की परीक्षा में बैठने की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11. किसी भी ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा जिसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाणपत्र नहीं होगा।

12. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के अनुबंध I में निर्धारित फीस अदा कर देनी चाहिये।

13. उम्मीदवार द्वारा अपनी उम्मीदवारी के लिये किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास उसे परीक्षा में प्रवेश के लिये अपात्र बना सकता है।

14. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग ने परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये छद्मव्यक्तिता या जाली दस्तावेज पेश करने या ऐसे दस्तावेज पेश करने जिन्हें छेड़ा गया है या गलत और झूठे बयान देने या वास्तविक जानकारी छिपाने या अन्यथा कोई अनियमित और अनुचित तरीका अपनाने या परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाने या अनुचित तरीके अपनाने का प्रयास करने या परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करने का दोषी घोषित किया हो तो उसे आपराधिक दंड मिलने के अतिरिक्त :—

(क) (1) उम्मीदवारों को चुनने के लिये आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा में बैठने या साक्षात्कार के लिये प्रस्तुत होने के लिये आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिये या स्थायी रूप से वंचित किया जा सकता है, और

(2) केन्द्रीय सरकार की नौकरियों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिये या स्थायी रूप से वंचित किया जा सकता है।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो तो उपयुक्त नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

15. लिखित परीक्षा में आयोग के स्वविवेक द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को आयोग मौखिक परीक्षा के लिये बुलाएगा ।

16. परीक्षा के बाद आयोग प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप से मिले कुल अंकों के आधार पर तैयार किये गए योग्यता क्रम से उम्मीदवारों का क्रम व्यवस्थित करेगा और इस नियमावली के परिशिष्ट III के पैरा 4 के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा ली गई भाषा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संबंधित भाषा के लिये भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों की संख्या के बराबर परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के नामों की योग्यता क्रम से नियुक्ति के लिये सिफारिश करेगा । जो उम्मीदवार परीक्षा में तो सफल हो गए हों, किन्तु उपर्युक्त तरीके से आयोग ने जिनकी नियुक्ति की सिफारिश न की हो उनमें से प्रत्येक उम्मीदवार को मिले कुल अंकों के आधार पर तैयार किये गए योग्यता क्रम से आयोग उनका क्रम निर्धारित करेगा—भले ही उन्होंने इस नियमावली के परिशिष्ट III के पैरा 4 के अनुसार कोई भी भाषा ली हो—और परीक्षा के परिणामस्वरूप भरी जाने वाली शेष अनारक्षित रिक्तियों की संख्या के बराबर परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के नामों की योग्यता क्रम से सिफारिश करेगा ।

परन्तु, यथास्थिति, सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये आयोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार की सिफारिश करेगा जो सेवा के लिये आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार तो योग्य नहीं है, लेकिन प्रशासन की दक्षता को बनाये रखने की बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने जिसे नियुक्ति के लिये उपर्युक्त घोषित कर दिया है ।

17. अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम की सूचना देने का तरीका आयोग स्वविवेक से तय करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उम्मीदवारों से किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

18. जब तक कि सरकार इस प्रकार की पूछताछ के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है, परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेने से ही नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता ।

19. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये उतनी रिक्तियां आरक्षित रखी जायेंगी, जितनी केन्द्रीय सरकार निश्चित करे ।

20. नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेंगी । आवश्यकता पड़ने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है ।

21. केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड IV की सेवा के विवरण संक्षिप्त रूप में परिशिष्ट IV में दिए गए हैं ।

22. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अर्थ है अनुसूचितजाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956, संविधान (जम्मू और कश्मीर) जनजाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962, संविधान (पांडेचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 और संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 के साथ पढ़े गए अनुसूचित जाति/जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 में उल्लिखित कोई भी जाति/जनजाति ।

परिशिष्ट I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(देखें नियम 6)

भारतीय विश्वविद्यालय

भारत में केन्द्र या राज्य विधानांगों के किसी अधिनियम द्वारा नगमित कोई भी विश्वविद्यालय तथा संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कोई अन्य शैक्षिक संस्थान ।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय ।

मांडले विश्वविद्यालय ।

इंगलैंड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बरमिंघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डरहम, लीड्स, लिवरपूल, लंदन, मानचेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शेफील्ड और वेल्स विश्वविद्यालय ।

स्काटलैंड के विश्वविद्यालय

अबरडीन, एडिनबरा, ग्लैस्गो और सैंट एण्ड्रूज विश्वविद्यालय ।

आयरलैंड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज) ।

डबलिन का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ।

क्वीन्स विश्वविद्यालय, बैलफास्ट ।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय ।

ढाका विश्वविद्यालय ।

सिंध विश्वविद्यालय ।

राजशाही विश्वविद्यालय ।

नेपाल का विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमांडू ।

परिशिष्ट II

परीक्षा में प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त योग्यताओं की सूची (देखें नियम 6)

1. शास्त्री परीक्षा काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
2. फ्रेंच परीक्षा "प्रोपेदियुतीक"।
3. नेशनल काउंसिल फार रूरल हायर एजुकेशन का ग्रामीण सेवाओं में डिप्लोमा।
4. विश्व भारती विश्वविद्यालय का ग्रामीण सेवाओं में डिप्लोमा।
5. आल इंडिया काउंसिल फार टेक्नीकल एजुकेशन का वाणिज्य में डिप्लोमा।
6. आल इंडिया काउंसिल फार टैक्नीकल एजुकेशन का सिविल या यांत्रिक या विद्युत या रसायन या धातुकर्म या खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा।
7. आल इंडिया काउंसिल फार टेक्नीकल एजुकेशन का रसायन टेक्नालाजी या औद्योगिक रसायन या वास्तुकला या वस्त्र टैक्नालाजी या कला में डिप्लोमा।
8. श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र का "उच्चतर पाठ्य क्रम" बशर्ते कि "पूर्ण छात्र" के रूप में पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया हो।
9. इंडियन स्कूल आफ माइन्स धनबाद का खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा।
10. प्रथम वैज्ञानिक शोध प्रबंध के समर्थन के बिना किन्तु राज्य परीक्षा पास कर लेने के बाद सोवियत संघ की किसी उच्चतर शैक्षिक स्थापना से स्नातक उपाधि अधिप्रमाणित मानविकी और प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में डिप्लोमा।

परिशिष्ट III

(देखें नियम 2)

1. परीक्षाओं का संचालन निम्नलिखित योजना के अनुसार किया जाएगा :—

भाग I:—नीचे पैरा 2 में दी गई लिखित परीक्षाओं के लिए अधिकतम 400 अंक होंगे।

भाग II:—उन उम्मीदवारों के लिए मौखिक परीक्षा जिन्हें आयोग बुलाए—इसके अधिकतम अंक 100 होंगे।

2. लिखित परीक्षाओं के प्रश्नपत्र, अनुमत्य समय और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अधिकतम अंक इस प्रकार है:—

प्रश्नपत्र	अधिकतम अंक	अनुमत्य समय
1. सामयिक विषयों का ज्ञान	100	3 घंटे
2. अंग्रेजी से किसी भारतीय भाषा में अनुवाद	50	1½ घंटे
3. किसी भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद	50	1½ घंटे
4. संबंधित भारतीय भाषा में निबंध	100	3 घंटे
5. भारतीय इतिहास और संस्कृति	100	3 घंटे

3 परीक्षा का पाठ्यविवरण संलग्न अनुसूची में दिए गए प्रकार से होगा।

4. (i) प्रश्न पत्र (1) और (5) के उत्तर अंग्रेजी में देना आवश्यक है।

(ii) (2) और (4) प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दी गई भाषाओं में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। उम्मीदवारों को दोनों प्रश्न पत्रों के लिए एक ही भाषा चुननी चाहिए। उन्हें अपने उत्तर नीचे दी गई संबंधित लिपियों में लिखने होंगे:—

भाषा	लिपि	भाषा	लिपि
असमिया	असमिया	उड़िया	उड़िया
बंगाली	बंगाली	पंजाबी	गुरमुखी
गुजराती	गुजराती	संस्कृत	देवनागरी
हिन्दी	देवनागरी	सिंधी	देवनागरी या अरबी
कन्नड़	कन्नड़	तमिल	तमिल
कश्मीरी	फारसी	तेलुगु	तेलुगु
मलयालम	मलयालम	उर्दू	फारसी
मराठी	देवनागरी		

(iii) उम्मीदवारों ने (2) और (4) प्रश्नपत्रों के उत्तर देने के लिए जिस भाषा को चुना है उसी भाषा से उन्हें (3) प्रश्नपत्र में अंग्रेजी अनुवाद करना होगा।

नोट:— उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के खाना 8 में उस भाषा का साफ स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए जिसमें वे उक्त (2) और (4) प्रश्नपत्रों के उत्तर देना चाहते हैं। यदि उक्त खाने में कोई विनिष्टि नहीं की गई तो आवेदन पत्र को प्रथम दृष्टि या रद्द कर दिया जाएगा और इस रद्दगी के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं सुनी जाएगी। एक बार चुना हुआ विकल्प अंतिम माना जाएगा और उक्त खाने में परिवर्तन करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. उम्मीदवारों को उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। उन्हें किसी भी दशा में उत्तर लिखने के लिए लिपिक की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग परीक्षा के किसी भी एक या सभी प्रश्नपत्रों के अर्हक अंक स्वविवेक से निश्चित करेगा।

7. मात्र सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

8. अस्पष्ट लिखावट के लिए लिखित प्रश्नपत्रों के अधिकतम अंकों में से 5 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे।

9. परीक्षा के सभी प्रश्नपत्रों में कम से कम शब्दों में व्यवस्थित, प्रभावशाली और सुस्पष्ट अभिव्यक्ति को प्रशंसनीय समझा जाएगा।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य विवरण

1. सामयिक विषय:— इसमें वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन के पर्यवेक्षण और अनुभव के आधार पर ऐसी वैज्ञानिक बातों का ज्ञान सम्मिलित होगा जिसकी आशा किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। प्रश्न पत्र में भारत के संविधान और भूगोल से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न होंगे जिनके उत्तर उम्मीदवार किसी विशेष अध्ययन के बिना देने योग्य हों तथा महात्मा गांधी की शिक्षाओं पर भी प्रश्न होंगे।

2. अंग्रेजी से किसी भारतीय भाषा में अनुवाद।

3. किसी भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद।

4. संबंधित भारतीय भाषा में निबंध:—उम्मीदवारों से संबंधित भारतीय भाषा में एक निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। कई विषयों में से एक विषय चुनना होगा। उम्मीदवारों से यह आशा की जाती है कि वे निबंध के विषय से इधर उधर नहीं होंगे, अपने विचार व्यवस्थित रूप से लिपिबद्ध करेंगे और सुस्पष्ट लिखेंगे। प्रभावशाली और सुस्पष्ट अभिव्यक्ति को प्रसंसनीय समझा जाएगा।

5. भारतीय इतिहास और संस्कृति :—प्रश्न पत्र इस प्रकार से बनाया जाएगा कि उसमें भारतीय इतिहास के (क) प्राचीन, (ख) मध्य और (ग) आधुनिक कालों का समावेश हो जाए तथा इसमें मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षकों और प्रवृत्तियों के बारे में संस्कृति संबंधी प्रश्न शामिल होंगे:—

(i) भारतीय विचार धारा तथा जीवन तथा भारतीय कला और मूर्तिकला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव,

(ii) भारतीय सामाजिक जीवन, संगीत, चित्रकला, साहित्य और कलात्मक तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के अन्य रूपों पर फारसी प्रभाव,

(iii) भारतीय संस्कृति की निरंतरता-अनेकता में एकता का विचार,

(iv) भारतीय सामाजिक जीवन पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव—कबीर, सूरदास, तुलसीदास, तुकाराम, रामदास, मीराबाई,

(v) राजा राम मोहन राय से प्रारम्भ करते हुए उन्नीसवीं शताब्दी में और बीसवीं शताब्दी के प्रथम पचास वर्षों में भारतीय पुनर्जागरण—कारण, रूप, इससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति और इसकी महत्वपूर्ण बातें।

ध्यान दें -I—उपर्युक्त विषय व्यापक नहीं समझे जाएंगे और पाठ्य विवरण में न दिये गये इसी प्रकार के अन्य विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

ध्यान दें - II—उम्मीदवारों से भारतीय इतिहास के प्रचीन, मध्य और आधुनिक काल में से प्रत्येक काल के न्यूनतम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जा सकता है। प्रश्नपत्र में इन तीनों कालों पर प्रश्न होंगे।

परिशिष्ट IV

(देखें नियम 21)

परीक्षा के माध्यम से जिस सेवा में नियुक्तियां की जा रही हैं उसके संक्षिप्त विवरण

केन्द्रीय सूचना सेवा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के भारत भर के ऐसे पद शामिल हैं जिनके लिए पत्रकारिता और इसी प्रकार की व्यावसायिक योग्यताएं आवश्यक है। इस सेवा का गठन 1 मार्च 1960 से किया गया था।

2. सेवा के मौजूदा ग्रेड इस प्रकार हैं :—

ग्रेड	वेतनमान
श्रेणी I	रु०
वरण ग्रेड	2500-125/2-2750
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड—	
वरिष्ठ वेतनमान	1800-100-2000
कनिष्ठ वेतनमान	1600-100-1800
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड—	
कनिष्ठ वेतनमान	1300-60-1600
कनिष्ठ वेतनमान	1100-50-1400
ग्रेड I	700-40-1100-50/2-1250
ग्रेड II	400-400-450-30-600-35-670 –द० रो०-35-950
श्रेणी II (राजपत्रित)	
ग्रेड III	350-25-500-30-590-द० रो० 30-800
श्रेणी II (अराजपत्रित) ग्रेड	270-10-290-15-410-द० रो०-15-485

3. (i) सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों में रिक्तियों का निम्नलिखित प्रतिशत सीधी भर्ती से भरा जाता है:—

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनमान)	12½ प्रतिशत
ग्रेड I	25 प्रतिशत
ग्रेड II	केवल स्थायी रिक्तियों का 50 प्रतिशत
ग्रेड IV	100 प्रतिशत

(ii) ग्रेड III की रिक्तियां विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर उन अधिकारियों के प्रवरण द्वारा भरी है जिन्होंने ग्रेड IV या किसी उच्चतर ग्रेड में किसी ड्यूटी पद पर 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो।

(iii) ग्रेड II की 50 प्रतिशत स्थायी और सभी अस्थायी रिक्तियां, ग्रेड I की 75 प्रतिशत रिक्तियां और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनमान) की 87½ प्रतिशत रिक्तियां उन

अधिकारियों का प्रवरण करके पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं जो अगले निम्न ग्रेडों में ड्यूटी पदों पर काम कर रहे हैं।

(iv) प्रवरण ग्रेड, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतनमान) और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनमान) की रिक्तियां उन अधिकारियों के प्रवरण द्वारा भरी जाती हैं जो संबंधित अगले निम्न ग्रेड में ड्यूटी पदों पर काम कर रहे हैं। पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवरण ग्रेड और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की इस प्रकार की रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भरी जाती हैं। कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतनमान) की रिक्तियां वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर उन अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं जो उस ग्रेड के कनिष्ठ वेतनमान में ड्यूटी पदों पर काम कर रहे हैं।

(v) सरकार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी ग्रेड में उस ग्रेड की नफरी के 10 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य प्रचार संगठनों के अधिकारियों को सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए नियुक्त कर के भर सकती है जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का निर्धारण करते समय इस प्रकार से भरे गए पदों को ध्यान में रखा जाता है।

4. (i) ग्रेड IV में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को अस्थायी पदों पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी के स्वविवेक से परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी अधिकारी के कार्य और आचरण से यह पता चले कि वह सेवा के ग्रेड IV का दक्ष अधिकारी नहीं बन सकता तो उसे या तो कार्यमुक्त कर दिया जाएगा या उसे उसके उस मूल पद पर, यदि कोई हो, पदावनत कर दिया जाएगा, जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार है। परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर लेने पर अधिकारी का ग्रेड IV की मूल नियुक्ति पर कोई अधिकार नहीं रहेगा और वह स्थानापन्न रूप में काम करता रहेगा तथा ग्रेड IV में जब कभी स्थायी रिक्तियां उपलब्ध होंगी, लागू नियमों के अनुसार उसकी पुष्टी कर दी जाएगी।

(ii) परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारियों को इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन, किसी समाचार पत्र या समाचार एजेंसी या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम यूनिटों में प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण की कुल अवधि एक वर्ष होगी। प्रशिक्षण की अवधि और उसके स्वरूप में सरकार परिवर्तन कर सकती है। प्रशिक्षण के दौरान या उसके अंत में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षाएं देनी होगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान हुई परीक्षाओं में सफलता प्राप्त न करने की दशा में अधिकारी को कार्य मुक्त किया जा सकता है या उसे उसके उस मूल पद पर, यदि कोई हो, पदावनत किया जा सकता है जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार है।

(iii) परिवीक्षा पर अधिकारी समय मान के न्यूनतम से आरम्भ करेगा। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति के लिए चुना गया तो उसका वेतन लागू नियमों के अनुसार निश्चित किया जाएगा।

5. ग्रेड IV में नियुक्त किसी भी अधिकारी को भारत में किसी भी स्थान पर सेवा के लिए तैनात किया जा सकता है। क्षेत्रीय पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के किसी भी संगठन में तैनात कर सकती है। सरकार सेवा के किसी भी सदस्य से एक निर्दिष्ठ अवधि के लिए किसी भी संघ क्षेत्र के प्रचार संगठन में पद ग्रहण करने के लिए कह सकती है।

6. छुट्टी, सामान्य भविष्य निधि में अंशदान, और सेवा की अन्य शर्तों के बारे में केन्द्रीय सूचना सेवा के पदों पर नियुक्त अधिकारियों को सरकार के श्रेणी I और श्रेणी II के अन्य अधिकारियों के समान माना जाता है।

नोट:—यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि नियुक्तियां केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन में किसी भी ऐसे परिवर्तन के अधीन होंगी जिन्हें भारत सरकार समय समय पर ठीक समझे और इस प्रकार के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

नियमावली

सं० 4/9/68-सी०आई०एस०—सेवा-मुक्त आपात कमीशन अफसर तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन अफसर (रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली, 1967 के नियम 5 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड IV में सेवा मुक्त आपात कमीशन अफसरों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अफसरों के लिए आरक्षित अस्थायी रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से ऐसे सेवामुक्त आपात कमीशन अफसरों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अफसरों को चुनने के लिए जिन्हें सशस्त्र सेनाओं में पहली नवम्बर 1962 के बाद कमीशन मिला था, अप्रैल, 1970 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। उपर्युक्त सेवामुक्त आपात कमीशन अफसर/अल्पकालीन सेवा कमीशन अफसर (रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली 29 जनवरी, 1971 को और इसके बाद लागू नहीं रहेगी।

2. परीक्षा के परिणामस्वरूप भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी नोटिस में निर्दिष्ट कर दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियां आरक्षित रखी जाएंगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अर्थ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन), अधिनियम, 1956, संविधान (जम्मू और कश्मीर) जनजाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 और संविधान (गोवा, दमन और

दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 के साथ पढ़े गए अनुसूचित जाति/जनजाति सूची (आशोधन) आदेश, 1956 में उल्लिखित कोई भी जाति/जनजाति ।

3. संघ लोक सेवा आयोग इस नियमावली के परिशिष्ट III में निर्धारित तरीके से परीक्षाएं लेगा ।

परीक्षा किन तारीखों को होंगी और किन स्थानों पर होंगी इसका निश्चय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा ।

4. इस नियमावली के उपबंधों के अधीन ऐसे सभी आपात कमीशन अफसर अल्पकालीन सेवा कमीशन अफसर इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, जिन्हें 1 नवम्बर 1962 के बाद सशस्त्र सेनाओं में कमीशन मिला था और जो इस अधिसूचना की तारीख से पहले सेवा मुक्त हो गये हों या इसके बाद 1970 के अन्त तक सेवामुक्त होने वाले हों ।

नोट :—इस नियमावली के प्रयोजन के लिये, 'सेवामुक्ति' का अर्थ है :—

(i) आपात कमीशन अफसरों के मामले में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वास्तविक सेवामुक्ति,

(ii) अल्पकालीन सेवा कमीशन अफसरों के मामले में उनकी सेवा के कार्यकाल की समाप्ति पर वास्तविक सेवामुक्ति,

(iii) सेवा की एक अवधि के बाद सशस्त्र सेनाओं में सैनिक सेवा के कारण हुई या बड़ी अशक्तता के परिणाम स्वरूप हुई अयोग्यता जो कि प्रशिक्षण के दौरान या उसके अन्त में न हुई हो और न ही जो वास्तविक सेवा में लेने से पहले इस प्रकार के प्रशिक्षण की अवधि के लिए प्रदत्त अल्पकालीन सेवा कमीशन के दौरान या उसके अन्त में हुई हो । इसके अन्तर्गत कदाचार, या अदक्षता के कारण अथवा स्वयं आवेदन करने पर सेवामुक्त अफसरों के मामले भी नहीं आते ।

टिप्पणी 2—आवेदन पत्र भेज देने के बाद यदि किसी उम्मीदवार को सशस्त्र सेनाओं में अस्थायी कमीशन मिल जाए या वह सशस्त्र सेनाओं से त्यागपत्र दे दे या उसे कदाचार, अदक्षता के कारण अथवा स्वयं आवेदन करने पर सेवामुक्त कर दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है ।

नोट 3—केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या सरकारी स्वामीत्व के औद्योगिक उपक्रमों में नियोजित ऐसे इंजीनियर या आफटर इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे जिन्हें अनिवार्य दायित्व योजना के अधीन न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिए सशस्त्र सेनाओं में सेवा करनी पड़ती है या जिन्हें इन सेवाओं की अवधि के दौरान में संबंधित नियमों के अधीन अल्पकालीन सेवा कमीशन दिया गया है ।

नोट 4—सशस्त्र सेनाओं की वालिंटियर रिजर्व फोर्स और अस्थायी सेवा के लिए बुलाए गए अफसर इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे ।

5. उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई एक अवश्य होना चाहिए :—

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी, या

(च) भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका और केन्या, उगान्डा के पूर्वी अफ्रीकी देशों तथा संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जन्जीबार) से प्रव्रजित भारतीय मूल का कोई व्यक्ति । परन्तु शर्त यह है कि (ग), (घ), (ङ), और (च) श्रेणियों के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसे भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया हो ।

नीचे दी गई किसी भी एक श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा :—

(i) 19 जुलाई, 1948 से पूर्व पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित ऐसे व्यक्ति जो तब से सामान्यतया भारत में रह रहे हों ।

(ii) 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन भारत के नागरिक के रूप में अपने आप को पंजीकृत करा दिया हो ।

(iii) उपर्युक्त (च) के अधीन आने वाले ऐसे गैरनागरिक जो संविधान के लागू होने अर्थात् 26 जनवरी 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में प्रविष्ट हो गए हों और जो तब से ऐसी सेवा में हों । लेकिन 26 जनवरी, 1950 के बाद ऐसी सेवा में सेवाभंग सहित प्रविष्ट हुए या प्रविष्ट होने वाले उम्मीदवारों को सामान्य तरीके से पात्रता प्रमाण-पत्र लेना होगा ।

किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक है परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि सरकार उसे आवश्यक प्रमाण पत्र दे दे ।

6. (क) उम्मीदवार को उस वर्ष की पहली जनवरी को 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेनी चाहिए जिस वर्ष उसने सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में भाग लिया हो अथवा उसे कमीशन मिला हो (जिन मामलों में केवल कमीशन के बाद प्रशिक्षण दिया गया हो) ।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जाएगी :—

(i) अधिकतम पांच वर्ष तक यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो;

(ii) अधिकतम तीन वर्ष तक यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और

1 जनवरी 1964 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो;

(iii) अधिकतम आठ वर्ष तक यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और पूर्वी पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो तथा 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो;

(iv) अधिकतम पांच वर्ष तक यदि उम्मीदवार पांडेचरी संघ क्षेत्र का निवासी हो और उसने किसी स्तर पर फ्रेंच के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो;

(v) अधिकतम तीन वर्ष तक यदि उम्मीदवार श्रीलंका से भारतीय मूल का वास्तविक देश प्रत्यावर्तित हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो;

(vi) अधिकतम आठ वर्ष तक यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से भारतीय मूल का वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भी होता या अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर 1964 को या उसके भारत में प्रव्रजित हुआ हो;

(vii) अधिकतम तीन वर्ष तक यदि उम्मीदवार गोवा, दमन और दीव संघ क्षेत्र का निवासी हो;

(viii) अधिकतम तीन वर्ष तक यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा या संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टांगनिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हुआ हो;

(ix) अधिकतम तीन वर्ष तक यदि उम्मीदवार बर्मा से भारतीय मूल का वास्तविक देश प्रत्यावर्तित हो और 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो;

(x) अधिकतम आठ वर्ष तक यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और बर्मा से भारतीय मूल का वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भी हो तथा 1 जून, 1963 को या उसके याद भारत में प्रव्रजित हुआ हो;

(xi) ऐसे रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो किसी बाहरी देश के साथ हुए युद्ध के दौरान या अशान्ति क्षेत्र में संक्रियाओं में अशक्त हो गए हों और इसके फलस्वरूप कर उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया हो;

(xii) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के ऐसे रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष तक जो किसी बाहरी देश के साथ हुए युद्ध के दौरान या अशान्ति क्षेत्र में संक्रियाओं में अशक्त हो गए हों और इसके फलस्वरूप उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया हो,;

(xiii) अधिकतम तीन वर्ष तक यदि उम्मीदवार ने 1963 में सशस्त्र सेनाओं में कमिशन पूर्व प्रशिक्षण में भाग लिया हो या उसे कमीशन मिल गया हो (जिन मामलों में केवल कमीशन के बाद प्रशिक्षण दिया गया हो) और वह पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो;

(xiv) अधिकतम आठ वर्ष तक यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और उसने 1963 में सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में भाग लिया हो या उसे कमीशन मिल गया हो (जिन मामलों में केवल कमीशन के बाद प्रशिक्षण दिया गया हो) और वह पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो;

(xv) अधिकतम चार वर्ष तक यदि उम्मीदवार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निवासी हो और उसने 1963 या 1964 या 1965 में सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में भाग लिया हो या उसे कमीशन मिल गया हो (जिन मामलों में केवल कमीशन के बाद प्रशिक्षण दिया गया हो);

(xvi) अधिकतम तीन वर्ष तक यदि उम्मीदवार भारत का नागरिक हो और श्रीलंका से देश प्रत्यावर्तित हो तथा उसने 1963 या 1964 या 1965 में केवल सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में भाग लिया हो या उसे कमीशन मिल गया हो (जिन मामलों में केवल कमीशन के बाद प्रशिक्षण दिया गया हो)।

उपर्युक्त उपबंधों को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी दशा में छूट नहीं दी जाएगी।

7. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में दो बार से अधिक बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नोट :—यदि उम्मीदवार एक या एक से अधिक विषयों की परीक्षा में वास्तव में बैठ चुका हो तो उसे परीक्षा में बैठा हुआ माना जाएगा।

8. उम्मीदवार के पास इस नियमावली के परिशिष्ट 1 में उल्लिखित किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी आवश्यक है या उसके पास इस नियमावली के परिशिष्ट 11 में उल्लिखित कोई भी योग्यता होनी आवश्यक है।

नोट 1—ऐसा उम्मीदवार भी इस परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है जो किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका है जिसके पास कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, लेकिन जिसके परिणाम की सूचना उसे नहीं मिली है। इस प्रकार की अर्हता परीक्षा में बैठने का इच्छुक उम्मीदवार भी आवेदर कर सकता है बशर्ते कि अर्हता परीक्षा के आरम्भ होने से पूर्व पूरी हो चुकी हो। इस प्रकार के उम्मीदवार को, अन्यथा पात्र होने पर, परीक्षा में प्रविष्ट किया जाएगा लेकिन प्रवेश को अनन्तिम माना जाएगा और यदि उम्मीदवार यथाशीघ्र तथा किसी भी दशा में इस परीक्षा के आरम्भ होने के दो मास के भीतर परीक्षा पास करने का प्रमाण नहीं देगा तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

नोट II—संघ लोक सेवा आयोग अपवाद स्वरूप किसी ऐसे उम्मीदवार को अर्हक उम्मीदवार मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त योग्यताएं न हो बशर्ते कि उसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर, आयोग की राय में, उसे परीक्षा में प्रवेश देने के लिए न्यायसंगत हो।

नोट III—अन्यथा पात्र उम्मीदवार, जिसने किसी ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो जो परिशिष्ट I में शामिल नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग के विवेक पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

9. सशस्त्र सेनाओं में सेवारत उम्मीदवार को इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन पत्र अपने यूनिट के कमान अफसर को पेश करना चाहिए जो उसे संघ लोक सेवा आयोग को अग्रेषित कर देगा।

सरकारी सेवारत अन्य सभी उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र अपने संबंधित विभाग या कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करने चाहिए जो उन्हें संघ लोक सेवा आयोग को अग्रेषित कर देगा।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की पात्रता या अन्यथा के बारे मे आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. किसी भी ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा जिसके पास संघ लोक सेवा आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र नहीं होगा।

12. उम्मीदवार द्वारा अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अपात्र बना सकता है।

13. यदि किसी उम्मीदवार को संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए हृदयव्यक्तिता, जाली दस्तावेज पेश करने या ऐसे दस्तावेज पेश करने जिन्हें छेड़ा गया है या गलत और झूठे बयान देने या वास्तविक जानकारी छिपाने या अन्यथा कोई अनियमित और अनुचित तरीका अपनाने या परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाने या अनुचित तरीके अपनाने का प्रयास करने या परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करने का दोषी घोषित किया हो तो उसे आपराधिक दंड मिलने के अतिरिक्त :

(क) (i) उम्मीदवारों को चुनने के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा में बैठने या साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत होने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए या स्थायी रूप से वंचित किया जा सकता है, और

(ii) केन्द्रीय सरकार की नौकरियों के लिए उसके द्वारा निर्धारित अवधि के लिए या स्थायी रूप से वंचित किया जा सकता है, और

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी मे हो तो उपयुक्त नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

14. लिखित परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग के स्वविवेक द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को आयोग मौखिक परीक्षा के लिए बुलाएगा।

15. परीक्षा के बाद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की योग्यताक्रम के सूची बनाई जायेगी और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के आधार पर योग्य समझा गया हो, इन नियमों के परिशिष्ट 3 के पैरा 4 के संदर्भ में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा ली गई भाषा को ध्यान में रखते हुये उतनी अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति की सिफारिश की जायेगी, जितनी प्रत्येक भाषा के बारे में भरनी निश्चित की गई हो। जो उम्मीदवार परीक्षा के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अर्ह माने जाएंगे, परन्तु उनको ऊपर बताये अनुसार नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं की जायेगी तो उनकी अंतिम रूप से प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से सूची बनाई जायेगी जिन्होंने चाहे इन नियमों के परिशिष्ट 3 के पैरा 4 के अनुसार कोई भी भाषा ली हो, और उसी क्रम से उनकी परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली हो, शेष अनारक्षित रिक्तियों की संख्या के बराबर नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

परन्तु, यथा स्थिति, सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार की सिफारिश करेगा जो सेवा के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार तो योग्य नहीं है लेकिन प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने की बात को ध्यान में रखते हुये आयोग ने जिसे नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया है।

16. यदि सेवा मुक्त आपात कमीशन अफसरों/अल्पकालीन कमीशन अफसरों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा के परिणामों के आधार पर पर्याप्त संख्या में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते तो बिना भरी रिक्तियों को इस विषय में सरकार द्वारा निर्धारित विधि से भर दिया जाएगा।

17. अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम की सूचना देने का तरीका संघ लोक सेवा आयोग स्वविवेक से तय करेगा और संघ लोक सेवा आयोग परिणामों के बारे में उम्मीदवारों से किसी प्रकार का पत्रव्यवहार नहीं करेगा।

18. जब तक कि सरकार इस प्रकार की पूछताछ के बाद जिसे वह आवश्यक समझे संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है, परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेने से ही नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।

19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसे किसी ऐसे गठन संबंधी दोष से मुक्त होना चाहिए जिसके कारण सेवा में अफसर के रूप में अपनी ड्यूटी पूरी करने में उसे बाधा पड़ने की संभावना हो। यथा स्थिति, सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के बाद यदि कोई उम्मीदवार इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगा तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए किसी भी उम्मीदवार से अपनी डाक्टरी जांच करवाने के लिए कहा जा सकता है।

20. (क) कोई भी ऐसा पुरुष उम्मीदवार इस सेवा पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी भी दशा में विवाह कर लेता है और यह विवाह इस प्रकार की पत्नी के जीवन काल में होने के कारण शून्य हो जाता है। परन्तु भारत सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उसके द्वारा ऐसे कार्य के किए जाने का विशेष आधार है तो वह किसी भी पुरुष उम्मीदवार पर यह नियम लागू होने की छूट दे सकती है।

(ख) कोई भी ऐसी महिला उम्मीदवार इस सेवा पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी जिसका विवाह इसलिए शून्य हो गया है कि उसके विवाह के समय उसके पति की पहली पत्नी जीवित थी अथवा जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है जिसके उसके साथ हुए विवाह के समय एक पत्नी जीवित थी। परन्तु भारत सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उसके द्वारा ऐसे कार्य के किए जाने का विशेष आधार है तो वह किसी भी महिला उम्मीदवार पर यह नियम लागू होने की छूट दे सकती है।

21. नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। आवश्यकता होने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है।

22. केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड IV के विवरण संक्षिप्त रूप से परिशिष्ट IV में दिए गए हैं।

भगवती शरण सिंह, उप-सचिव

परिशिष्ट I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(देखें नियम 8)

भारतीय विश्वविद्यालय

भारत में केन्द्र या राज्य विधानांगों के किसी अधिनियम द्वारा निगमित कोई भी विश्वविद्यालय तथा संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कोई अन्य शैक्षिक संस्थान।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय।

मांडले विश्वविद्यालय।

इंगलैंड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बरमिंघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डरहम, लीड्स, लिवरपूल, लंडन, मानचेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शेफील्ड, और वेल्स विश्वविद्यालय।

स्काटलैंड के विश्वविद्यालय

अबरडीन, एडिनबरा, ग्लेस्गो और सैंट एन्ड्रूज विश्वविद्यालय।

आयरलैंड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज)।

डबलिन का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय।

क्वीन्स विश्वविद्यालय, बेलफास्ट।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय।

ढाका विश्वविद्यालय।

सिंध विश्वविद्यालय।

राजशाही विश्वविद्यालय।

नेपाल के विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमांडू।

परिशिष्ट II

परीक्षा में प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त योग्यताओं की सूची

(देखें नियम 8)

1. शास्त्री परीक्षा, काशी विद्यापीठ—वाराणसी।
2. फ्रेंच परीक्षा "प्रोपेदियुतीक",
3. नेशनल काउंसिल फार रूरल हायर एजुकेशन का ग्रामीण सेवाओं में डिप्लोमा।
4. विश्व भारती विश्वविद्यालय का ग्रामीण सेवाओं में डिप्लोमा।
5. आल इंडिया काउंसिल फार टैक्नीकल एजुकेशन का वाणिज्य में डिप्लोमा।
6. आल इंडिया काउंसिल फार टैक्नीकल एजुकेशन का सिविल या यांत्रिक या विद्युत या रसायन या धातुकर्म या खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा।
7. आल इंडिया काउंसिल फार टैक्नीकल एजुकेशन का रसायन टैक्नोलाजी या औद्योगिक रसायन या वास्तुकला या वस्त्र टैक्नोलाजी या कला में डिप्लोमा।
8. श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र का 'उच्चतर पाठ्यक्रम' बशर्ते कि 'पूर्ण छात्र' के रूप में पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक पूरा किया गया हो।
9. इंडियन स्कूल आफ माइन्स धनबाद का खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा।
10. प्रथम वैज्ञानिक शोध प्रबन्ध के समर्थन के बिना किन्तु राज्य परीक्षा पास कर लेने के बाद सोवियत संघ की किसी उच्चतर शैक्षिक स्थापना से स्नातक उपाधि अधिप्रमाणित मानविकी और प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में डिप्लोमा।

परिशिष्ट III

(देखें नियम 3)

1. परीक्षाओं का संचालन निम्नलिखित योजना के अनुसार किया जाएगा:—

भाग I:—नीचे पैरा 2 में दिए गए प्रश्न पत्रों के लिए अधिकतम 300 अंक की लिखित परीक्षा।

भाग II:— उन उम्मीदवारों के लिए मौखिक परीक्षा जिन्हें आयोग बुलाए—इसके अधिकतम अंक 200 होंगे जिनमें से 50 अंक सशस्त्र सेनाओं में सेवा के रिकार्ड के मूल्यांकन के लिए हैं।

2. लिखित परीक्षाओं के प्रश्न पत्र, अनुमत्य समय और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अधिकतम अंक इस प्रकार हैं :—

चर्चा	अधिकतम अंक	अनुमत्य समय
1. सामयिक विषयों का ज्ञान	100	3 घण्टे
2. अंग्रेजी से किसी भारतीय भाषा में अनुवाद	50	1½ घण्टे
3. किसी भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद	50	1½ घण्टे
4. संबंधित भारतीय भाषा में निबंध	100	3 घंटे

3. परीक्षा का पाठ्यविवरण संलग्न अनुसूची में दिए गए प्रकार से होगा; लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र वही होगा जो कि नियमित केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड (iv) परीक्षा की योजना में तदनुरूपी विषय के लिए है। यह परीक्षा भी साथ ही साथ ली जाएगी।

4. (i) प्रश्न पत्र (1) का उत्तर अंग्रेजी में देना आवश्यक है।

(ii) (2) और (4) प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दी गई भाषाओं में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। उम्मीदवारों को दोनों प्रश्न पत्रों के लिए एक ही भाषा चुननी चाहिए। उन्हें अपने उत्तर नीचे दी गई संबंधित लिपियों में लिखने होंगे :—

भाषा	लिपि	भाषा	लिपि
असमिया	असमिया	उड़िया	उड़िया
बंगाली	बंगाली	पंजाबी	गुरमुखी
गुजराती	गुजराती	संस्कृत	देवनागरी
हिन्दी	देवनागरी	सिंधी	देवनागरी या अरबी
कन्नड़	कन्नड़	तमिल	तमिल
कश्मीरी	फ़ारसी	तेलुगु	तेलुगु
मलयालम	मलयालम	उर्दू	फ़ारसी
मराठी	देवनागरी		

(iii) उम्मीदवारों ने (2) और (4) प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के लिए जिस भाषा को चुना है उसी भाषा से उन्हें (3) प्रश्न पत्र में अंग्रेजी अनुवाद करना होगा।

नोट:—उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के खाना 8 में उस भाषा का नाम स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए जिसमें वे उक्त (2) और (4) प्रश्न पत्रों के उत्तर देना चाहते हैं। यदि उक्त खाने में कोई प्रविष्टि नहीं की गई तो आवेदन पत्र को प्रथम दृष्टया रद्द कर दिया जाएगा और इस रद्दगी के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं सुनी जाएगी। एक बार चुना हुआ विकल्प अंतिम माना जाएगा और उक्त खाने में परिवर्तन करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. उम्मीदवारों को उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। उन्हें किसी भी दशा में उत्तर लिखने के लिए लिपिक की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के किसी भी एक या सभी प्रश्न पत्रों के अर्हक अंक स्वविवेक से निश्चित करेगा।

7. मात्र सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

8. अस्पष्ट लिखावट के लिए लिखित प्रश्न पत्रों के अधिकतम अंकों में से 5 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे।

9. परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में कम-से-कम शब्दों में व्यवस्थित, प्रभावशाली और सुस्पष्ट अभिव्यक्ति को प्रशंसनीय समझा जाएगा।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य विवरण

1. **सामयिक विषय**:— इसमें वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन के पर्यवेक्षण और अनुभव के आधार पर ऐसी वैज्ञानिक बातों का ज्ञान सम्मिलित होगा जिसकी आशा किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। प्रश्नपत्र में भारत के संविधान और भूगोल से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न होंगे जिनके उत्तर उम्मीदवार किसी विशेष अध्ययन के बिना देने योग्य हों तथा महात्मा गांधी की शिक्षाओं पर भी प्रश्न होंगे।

2. अंग्रेजी से किसी भारतीय भाषा में अनुवाद।

3. किसी भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद।

4. **संबंधित भारतीय भाषा में निबंध**:—उम्मीदवारों से संबंधित भारतीय भाषा में एक निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। कई विषयों में से एक विषय चुनना होगा। उम्मीदवारों से यह आशा की जाती है कि वे निबंध के विषय से इधर उधर नहीं होंगे, अपने विचार व्यवस्थित रूप से लिपिबद्ध करेंगे और सुस्पष्ट लिखेंगे। प्रभाव शाली और सुस्पष्ट अभिव्यक्ति को प्रशंसनीय समझा जायगा।

परिशिष्ट IV

(देखें नियम 22)

परीक्षा के माध्यम से जिस सेवा में नियुक्तियाँ की जा रही है उसके संक्षिप्त विवरण

केन्द्रीय सूचना सेवा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के भारत भर के ऐसे पद शामिल हैं जिनके लिए पत्रकारिता और इसी प्रकार की व्यावसायिक योग्यताएं आवश्यक हैं। इस सेवा का गठन 1 मार्च 1960 से किया गया था।

2. सेवा के मौजूदा ग्रेड इस प्रकार हैं :—

ग्रेड	वेतन मान
श्रेणी 1	
वरण ग्रेड . . .	रु० 2500-125/2-2750

ग्रेड		वेतनमान
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड		
वरिष्ठ वेतन मान	.	रु० 1800-100-2000
कनिष्ठ वेतन मान	.	रु० 1600-100-1800
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड		
वरिष्ठ वेतन मान	.	रु० 1300-60-1600
कनिष्ठ वेतन मान	.	रु० 1100-50-1400
ग्रेड I . .	.	रु० 700-40-1100-50/2 1250
ग्रेड II . .	.	रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो० 35-950
श्रेणी II (राजपत्रित)		
ग्रेड III . .	.	रु० 350-25-500-30-590-द० रो० 15-485
श्रेणी II (अराजपत्रित)	.	
ग्रेड IV . .	.	रु० 270-10-290-15-410-द० रो०-15-485

3. (i) सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों में रिक्तियों का निम्नलिखित प्रतिशत सीधी भर्ती से भरा जाता है :—

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतन मान)	.	12½ प्रतिशत।
ग्रेड I . .	.	25 प्रतिशत।
ग्रेड II . .	.	केवल स्थायी रिक्तियों का 50 प्रतिशत।
ग्रड IV . .	.	100 प्रतिशत।

(ii) ग्रेड III की रिक्तियां विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर उन अधिकारियों के प्रवरण द्वारा भरी जाती हैं जिन्होंने ग्रेड IV या किसी उच्चतर ग्रेड में किसी ड्यूटी पद पर 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो।

(iii) ग्रेड II की 50 प्रतिशत स्थायी और सभी अस्थायी रिक्तियां, ग्रेड-I की 75 प्रतिशत रिक्तियां और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनमान) की 87½ प्रतिशत रिक्तियां उन अधिकारियों का प्रवरण कर के पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं जो अगले निम्न ग्रेडों में ड्यूटी पदों पर काम कर रहे हैं।

(iv) प्रवरण ग्रेड, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतन मान) और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनमान) की रिक्तियां उन अधिकारियों के प्रवरण द्वारा भरी जाती हैं जो सम्बन्धित अगले निम्न ग्रेड में ड्यूटी पदों पर काम कर रहे हैं। पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवरण ग्रेड और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की इस प्रकार की रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भरी जाती हैं। कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतनमान) की रिक्तियां वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर उन अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं जो ग्रेड के कनिष्ठ वेतन मान में ड्यूटी पदों पर काम कर रहे हैं।

(v) सरकार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी ग्रेड में उस ग्रेड की नफरी के 10 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य प्रचार संगठनों के अधिकारियों को सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए नियुक्ति कर के भर सकती है जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का निर्धारण करते समय इस प्रकार से भरे गए पदों को ध्यान में रखा जाता है।

4. (i) ग्रेड IV में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को अस्थायी पदों पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी के स्वविवेक से परीवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी अधिकारी के कार्य और आचरण से यह पता चले कि वह सेवा के ग्रेड IV का दक्ष अधिकारी नहीं बन सकता तो उसे या तो कार्यमुक्त कर दिया जाएगा या उसे उसके उस मूलपद पर, यदि कोई हो, पदावनत कर दिया जाएगा, जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार हैं। परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर लेने पर अधिकारी का ग्रेड IV की मूल नियुक्ति पर कोई अधिकार नहीं रहेगा और वह स्थानापन्न रूप में काम करता रहेगा तथा ग्रेड IV में जब कभी स्थायी रिक्तियां उपलब्ध होंगी, लागू नियमों के अनुसार उसकी पुष्टी कर दी जाएगी।

(ii) परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारियों को इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन, किसी समाचार पत्र या समाचार एजेंसी या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम यूनिटों में प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण की कुल अवधि एक वर्ष होगी। प्रशिक्षण की अवधि और उसके स्वरूप में सरकार परिवर्तन कर सकती है। प्रशिक्षण के दौरान या उसके अन्त में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षाएं देनी होंगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान हुई परीक्षाओं में सफलता प्राप्त न करने की दशा में अधिकारी को कार्यमुक्त किया जा सकता है या उसे उसके उस मूलपद पर, यदि कोई हो, पदावनत किया जा सकता है जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार है।

(iii) केन्द्रीय सूचना सेवा (ग्रेड IV) सेवामुक्त आपात कमीशन अल्पकालीन सेवा कमीशन अफसर परीक्षा 1970 के जरिए प्रवरण द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी का वेतन और वरीयता समय समय पर सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार निश्चित किए जाएंगे।

5. ग्रेड IV में नियुक्त किसी भी अधिकारी को भारत में किसी भी स्थान पर सेवा के लिए तैनात किया जा सकता है। क्षेत्रीय पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के किसी भी संगठन में तैनात कर सकती है। सरकार सेवा के किसी भी सदस्य से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए

किसी भी संघ क्षेत्र के प्रचार संगठन में पद ग्रहण करने के लिए कह सकती है।

6. छुट्टी, सामान्य भविष्य निधि में अंशदान, और सेवा की अन्य शर्तों के बारे में केन्द्रीय सूचना सेवा के पदों पर नियुक्त अधिकारियों को सरकार के श्रेणी-I और श्रेणी-II के अन्य अधिकारियों के समान माना जाता है।

नोट :—यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि नियुक्तियां केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन में किसी भी ऐसे परिवर्तन के अधीन होंगी जिन्हें भारत सरकार समय-समय पर ठीक समझे और इस प्रकार के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 18th September 1969

No. 54-Pres./69.—The President is pleased to direct that in Notification No. 1-Pres./50, dated the 26th January, 1950 relating to this institution of the Param Vir Chakra, the Maha Vir Chakra and the Vir Chakra, published in the Gazette of India Extraordinary dated the 26th January, 1950, the following shall be substituted for clause 'Eleventhly' under the headings the Param Vir Chakra, the Maha Vir Chakra and the Vir Chakra :—

"Eleventhly : Every recipient of the Chakra of or below the rank of Second-Lieutenant in the case of Army, Sub-Licutenant in the case of Navy, and Pilot Officer in the case of Air Force, shall be entitled for life, from the date of the act by which the Decoration has been gained, to a monetary allowance. Each Bar conferred shall carry with it an additional monetary allowance. These allowances will be paid at such rates as the President may prescribe. On the death of a recipient of the Chakra to whom this clause applies, the monetary allowance shall be paid to his father or mother, and in case the posthumous awardee is a widow, until her death or re-marriage, under such rules as may be prescribed by the President. Where the award is made posthumously to a bachelor, the monetary allowance shall be paid to his father or mother, and in case the posthumous awardee is a widower, the allowance shall be paid to his son or unmarried daughter, as the case may be, under such rules as may be prescribed by the President."

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President,

New Delhi, the 18th September 1969

No. 55-Pres./69.—The President is pleased to direct that in Notification No. 19-Pres./57, dated the 26th February, 1957, relating to the award of Meritorious Service Medal, the following amendment shall be made :—

Clause Thirdly in Notification No. 19-Pres./57, dated the 26th February 1957, may be substituted by the following :—

"The medal shall be suspended from the left breast by a riband of brown silk, one and a quarter inches in width, edged with white and divided equally by three narrow vertical stripes each one-sixteenth of an inch in red, dark blue and light blue, in that order; the light blue stripe being nearest to the left shoulder."

V. J. MOORE, Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION

(Department of Agriculture)

(I.C.A.R.)

New Delhi, the 16th September 1969

No. 29-1/69-CDN(I)/ICAR.—In continuation of this Ministry's Notification No. 29-1/69-CDN(I), dated the 16th July, 1969, the following persons have been nominated by the University Grants Commission as its representatives on the Standing Committee for Agricultural Education of the Indian Council of Agricultural Research for the period from the 3rd September, 1969 to the 7th July, 1972 :—

1. Dr. P. N. Mehra, Professor of Botany, Panjab University, Chandigarh.
2. Dr. R. S. Chaudhuri, Dean of Agricultural Faculty, Banaras Hindu University, Varanasi.

K. P. A. MENON, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

New Delhi, the 5th September 1969

No. F. 7-13/69/T.6.—The Governing Council of the Indian School of Mines, Dhanbad set up by the Government of India *vide* erstwhile Ministry of Steel, Mines and Fuel Resolution No. 315(1)/57 M III, dated 4th May 1957 and reconstituted *vide* Ministry of Education Notification No. F. 7-15/67-T.6, dated 29th June 1967 as amended, is dissolved with effect from 16th August, 1969.

G. N. VASWANI, Dy. Educational Adviser (T)

New Delhi-1, the 10th September 1969

RESOLUTION

No. F. 8-12A/64-T.6.—Whereas Clause 7.2(a) of the present Scheme for the Administration and Management of the properties and funds of the Indian Institute of Science, Bangalore provides a review of the work and progress of the Institute by a Reviewing Committee.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under the said clause 7.2(a), the President of India, in his capacity as the Visitor of the Institute has appointed a Reviewing Committee to review the working of the Indian Institute of Science, with the composition and Terms of Reference as below :—

Composition

Chairman

Prof. T. R. Seshadri, FRS, Emeritus Professor, Department of Chemistry, University of Delhi, Delhi.

Members

1. Dr. A. R. Verma, Director, National Physical Laboratory, New Delhi.
2. Dr. A. K. Kamal, Head of the Department of Electronics and Communication Engineering, Roorkee University, Roorkee.
3. Dr. B. K. Bachawat, Professor of Bio-Chemistry and Director, Neuro-Chemistry Laboratory, Christian College, Vellore.
4. Dr. Valluri, Director, National Aeronautical Research Laboratory, Bangalore.
5. Prof. K. B. Menon, Professor of Electrical Engineering, Indian Institute of Technology, Kharagpur.
6. Dr. G. S. Ladha, Director, A.C. College of Technology, Madras University, Guindy, Madras-25.

Advisers

1. Dr. W. H. Pickering, Director, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, California, U.S.A.
2. Dr. M. J. Lighthill, FRS, Royal Society Research Professor, Imperial College of Science, and Technology, London.
3. Academician M. M. Shemyakin, Director, Institute of Chemistry of Natural Compounds, USSR Academy of Sciences, Moscow.

Secretary

Shri G. N. Vaswani, Deputy Educational Adviser (Technical), Ministry of Education & Youth Services, New Delhi.

Terms of Reference

(i) To review the working of the Institute in all aspects as a centre of advanced studies and research in science, engineering and technology;

(ii) To advise on the broad lines of development of the Institute specially in regard to cooperation between departments in the light of new inter-disciplinary areas of science and technology and on priorities of develoment; and

(iii) To make recommendations on any other aspects regarding the organisation and function and re-orientation of the Institute that are considered necessary for its future development.

2. The Committee shall start functioning at Bangalore in October 1969.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to :—

1. All State Government/Union Territories.
2. Chief Secretary, Government of Mysore, Bangalore.
3. Registrar, Indian Institute of Science, Bangalore-12.
4. Chairman, Members and Secretary of the Committee.
5. The High Commission for India in U.K./Embassy of India in USSR at Moscow/Embassy of India in USA, Washington.
6. All Ministries of the Government of India.
7. Chairman, University Grants Commission, New Delhi.

and that the Resolution be published in the Gazette of India.

L. S. CHANDRAKANT, Jt. Educational Adviser (Tech.)

New Delhi, the 11th September 1969

RESOLUTION

SUBJECT : *Hindi Shiksha Samiti—Reconstitution of.*

No. F. 1-8/69-*H.I.*—In partial modification of the Ministry of Education Resolution No. F. 1-12/65-H.I, dated the 4th November, 1965, it is hereby resolved to make the following addition in the aforesaid Resolution. The amendments shall take immediate effect.

Para I Composition. The following entry may be added after para I (XII) as a new entry :—

(XIII) Director, Central Institute of Languages, Mysore.

The existing entry (XIII) in para I may be renumbered as "(XIV)".

N. M. TAGORE, Dy. Educational Adviser

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Administrations, Prime Minister Sectt., Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Election Commission, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Sectt., Presidents Sectt., All Ministries and Departments of the Government of India and Director, Central Institute of Indian Languages, Mysore.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. S. BHATNAGAR, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 15th September 1969

No. E67OGI/10/RBI(I).—The Government of India have decided that the Secretary, Railway Board, will function as ex-officio Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Railways, with immediate effect.

P. LAL, Dy. Secy. Railway Board

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

RULES

New Delhi, the 27th September 1969

No. 4/1/69-*CIS, dated* 18-9-1969.—The Rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in April, 1970, for the purpose of filling temporary vacancies in Grade IV of the Central Information Service are published for general information.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix III to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee, who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India. Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

(i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then.

(ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens of India under Article 6 of the Constitution.

(iii) Non-citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, *viz.*, 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will however, require certificate of eligibility in the usual way.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

4. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu or is not a migrant from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than two times at the examination.

NOTE—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have competed at the examination, if he actually appears in any one or more papers.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 25 years on the 1st January, 1970 *i.e.* he must have been born not earlier than 2nd January, 1945 and not later than 1st January, 1949.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate must hold a degree of any of the universities enumerated in Appendix I to these rules, or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix II to these rules.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the above qualifications, as educationally qualified provided that he has passed an examination, conducted by any other institution, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to this examination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise eligible but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I may also apply and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. (a) No male candidate who has more than one wife living or who having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to the Service, unless the Government of India after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any male candidate from the operation of this rule.

(b) No female candidate whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to the Service, unless the Government of India after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any female candidate from the operation of this rule.

8. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or temporary capacity, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the examination.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for *viva-voce* by the Commission may be required to undergo medical examination.

10. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

12. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

13. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

14. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution :—

(a) be debarred permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them.

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

15. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for *viva voce*.

16. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and, in that order, so many candidates as are found by the Commission to have qualified by the examination shall, with due regard to the language offered by each candidate *vide* para 4 of Appendix III to these rules, be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled in respect of each of the concerned languages. The candidates who are found by the Commission to have

qualified by the examination, but are not recommended for appointment as aforesaid, will then be arranged in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each such candidate, irrespective of the language offered by him *vide* para 4 of Appendix III to these rules, and in that order they shall be recommended for appointment up to the number of the remaining unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes who though not qualified by the standard prescribed by the Commission for the Service, is declared by them to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for appointment to vacancies reserved for members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, in the Service.

17. The form and manner of communication of the result of the examination individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

18. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

19. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of such vacancies as may be fixed by the Central Government.

20. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended, if considered necessary.

21. Particulars of service for Grade IV of the Central Information Service are briefly stated in Appendix IV.

22. In these Rules, Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964 the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 and the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India (*vide* Rule 6)

INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India and other educational institutes established by an Act of Parliament, or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

UNIVERSITIES IN BURMA

The University of Rangoon.

The University of Mandalay.

ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

SCOTTISH UNIVERSITIES

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College).

The National University of Dublin.

The Queen's University, Belfast.

UNIVERSITIES IN PAKISTAN

The University of Punjab.

The Dacca University.

The University of Sind.

The Rajshahi University.

UNIVERSITY IN NEPAL

The Tribhuvan University, Kathmandu.

APPENDIX II

List of qualifications recognised for admission to the examination. (vide *Rule* 6).

1. Shastri of Kashi Vidyapith, Varanasi.

2. French Examination "Propedeutique."

3. Diploma in Rural Services of the National Council for Rural Higher Education.

4. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.

5. Diploma in Commerce of All India Council for Technical Education.

6. Diploma in Civil or Mechanical or Electrical or Chemical or Metallurgical or Mining Engineering of the All India Council for Technical Education.

7. Diploma in Chemical Technology or Industrial Chemistry or Architecture of Textile Technology or Art of the All India Council for Technical Education.

8. "Higher Course" of Shri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full student".

9. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.

10. Diploma in the field of Humanities and Natural Sciences attesting graduation from a Higher Educational Establishment in the U.S.S.R. without defending first scientific thesis but having passed the State Examinations.

APPENDIX III

(*vide* Rule 2)

1. The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I.—Written examination carrying a maximum of 400 marks for the papers as shown in para. 2 below.

Part II.—*Viva voce* carrying a maximum of 100 marks for such candidates as may be called by the Commission.

2. The papers comprising the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each paper will be as follows :—

Papers	Max. Marks	Time allowed
(1) Current Affairs	100	3 hrs.
(2) Translation from English to an Indian Language	50	1½ hrs.
(3) Translation from the Indian Language to English	50	1½ hrs.
(4) Essay in the Indian Language concerned	100	3 hrs.
(5) Indian History & Culture ..	100	3 hrs.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

4. (i) Question papers (1) and (5) must be answered in English.

(ii) Candidates have the option to choose any one of of the following languages for answering papers (2) and (4). Candidates must *choose* the same language for both the papers. They will be required to write their answers in the respective script indicatd below :

Language	Script	Language	Script
Assameso	Assamese	Oriya	Oriya
Bengali	Bengali	Punjabi	Gurmukhi
Gujarati	Gujarati	Sanskrit	Devanagari
Hindi	Devanagiri	Sindhi	Devanagiri or Arbic
Kannada	Kannada	Tamil	Tamil
Kashmiri	Persion	Telugu	Telugu
Malayalam	Malayalam	Urdu	Persian
Marathi	Devanagiri		

(iii) In case of paper (3), candidates will be required to translate into English from the language selected by them for answering papers (2) and (4).

NOTE.—Candidates should clearly specify in column 8 of the application form, the name of the language in which they wish to answer papers (2) and (4) above. IF NO ENTRY IS MADE IN THE SAID COLUMN, THE APPLICATION WILL BE SUMMARILY REJECTED, AND NO APPEAL AGAINST ITS REJECTION SHALL BE ENTERTAINED THE OPTION ONCE EXERCISED SHALL BE TREATED AS FINAL; AND NO REQUEST FOR ALTERATION IN THE SAID COLUMN SHALL BE ENTERTAINED.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all papers at the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written papers will be made for illegible hand-writing.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all papers of the examination.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

1. *Current Affairs.*—Including knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on the Constitution of India and Geography, of a nature which candidates should be able to answer without special study, and questions on the teaching of Mahatma Gandhi.

2. *Translation from English to an Indian Language.*

3. *Translation fro man Indian Language to English.*

4. *Essay in the Indian Language concerned.*—Candidates will be required to write an essay in the Indian Language concerned. A choice of subjects will be given. They will be expected to keep closely to the subject of the Essay, to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression.

5. *Indian History and Culture.*—The paper will be designed to cover the (a) Ancient, (b) Medieval, (c) Modern periods of Indian History, and will include questions on Culture broadly covering topics and trends such as the following :—

(i) Influence of Buddhism on Indian thought and life and on Indian art and sculpture.

(ii) Persian influence on Indian social life, and on music, painting, literature and other forms of artistic and cultural expression;

(iii) Continuity of Indian Culture—Idea of Unity in Diversity.

(iv) Influence of Bhakti movement on Indian social life—Kabir, Surdas, Tulsidas, Tukaram, Ramdas, Mirabai;

(v) Indian Renaissance during the nineteenth century beginning with Raja Ram Mohan Roy and the first half of the twentieth century, with reference to causes, the forms it took, leading personalities connected with it, and its salient features.

N.B. I.—The topics mentioned above are not to be regarded as exhaustive, and questions on topics of similar nature not mentioned in the syllabus may also be asked.

N.B. II.—Candidates may be required to answer a minimum number of questions from each of the three parts corresponding to the ancient, medieval and modern periods of Indian History into which the paper may be divided.

APPENDIX IV

(*vide* Rule 21)

Brief particulars relating to the Service to which recruitment is being made through this Examination.

The Central Information Service consists of posts, all over India, in various organisations of the Ministry of Information and Broadcasting, requiring journalistic and similar professional qualifications. The Service was constituted with effect from March 1, 1960.

2. The Service has at present the following grades :—

Grade	Scale of pay
CLASS I	
Selection Grade	Rs. 2500—125/2—2750
Senior Administrative Grade	
Senior Scale	Rs. 1800—100—2000
Junior Scale	Rs. 1600—100—1800
Junior Administrative Grade	
Senior Scale	Rs. 1300—60—1600
Junior Scale	Rs. 1100—50—1400
Grade I	Rs. 700—40—1100—50/2—1250.
Grade II	Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950
CLASS II (Gazetted)	
Grade III	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800.
CLASS II (Non-Gazetted)	
Grade IV	Rs. 270—10—290—15—410—EB—15—485.

3 (i) Direct Recruitment is made to the percentage of vacancies as specified below, in the following grades of the Service.

Junior Administrative Grade (Junior Scale)	12½%
Grade I	25%
Grade II	50% of permanent vacancies only
Grade IV	100%

(ii) Vacancies in grade III are filled from amongst officers who have completed five years' approved service in a duty post in Grade IV, or in any higher grade, on the recommendation of a Departmental Promotion Committee, on the basis of selection.

(iii) 50% permanent and all temporary vacancies in Grade II, 75% vacancies in Grade I and 87½% vacancies in the Junior Administrative Grade (Junior Scale) are filled by promotion by selection from amongst officers holding duty posts in the next lower grades.

(iv) Vacancies in the Selection Grade, Senior Administrative Grade (Senior Scale), and Senior Administrative Grade

(Junior Scale), are filled by selection from amongst officers holding duty posts in the respective next lower grade. In case no suitable officer is available for such promotion, recruitment to such vacancies in the Selection Grade and Senior Administrative Grade is to be made in consultation with the Union Public Service Commission. Vacancies in the Junior Administrative Grade (Senior Scale) are filled by promotion on the basis of seniority-*cum*-fitness from amongst officers holding duty posts in the Junior Scale of that Grade.

(v) The Government can fill, in consultation with the Union Public Service Commission, in any grade a number of posts not exceeding 10% of the strength of that grade, by the appointment of officers of State Publicity Organisations on deputation, for such period not exceeding five years, as the Government may specify. The posts so filled are taken into account in determining the number of posts to be filled by promotion or by direct recruitment.

4. (i) Direct Recruits to Grade IV will be appointed in an officiating capacity against temporary posts. They will be on probation for two years from the date of appointment. The period of probation may be extended at the discretion of the appointing authority. If the work or conduct during the period of probation is such as to show that an officer is unlikely to become an efficient Grade IV officer of the Service he may be discharged forthwith or reverted to the substantive post, if any, on which he may hold lien. After the satisfactory completion of the probation, an officer will have no claim for substantive appointment to Grade IV and will continue in an officiating capacity and confirmed as and when permanent vacancies in Grade IV become available, in accordance with the rules in force.

(ii) During the period of probation the officers will be required to undergo training in the Indian Institute of Mass Communication, a newspaper or a news agency, in different media units of the Ministry of Information and Broadcasting. The total period of training will be one year. The period and nature of training will be liable to alteration by Government. During the course of the training or at its end, they will have to undergo such tests as the Government may prescribe. Failure to pass the tests during the training period involves liability to discharge from service or reversion to the substantive post, if any, on which the candidate may hold lien.

(iii) An officer on probation shall start on the minimum of the time scale. However, if a Government servant is selected for appointment, his pay will be fixed in accordance with the rules in force.

5. An officer appointed to a post in Grade IV will be liable to serve anywhere in India. Government may post an officer to hold a field post in any organisation under the Ministry of Information and Broadcasting. Government may also require any member of the Service to hold, for a specified period, a post in the publicity organisation of a Union Territory.

6. As regards leave, contribution to the General Provident Fund, pension and other conditions of Service. Officers appointed to posts in the Central Information Service, are treated like other Class I and Class II officers of the Government.

NOTE : It should be clearly understood that the appointments would be subject to any change in the constitution of the Central Information Service which the Government of India may think proper to make from time to time and that the apointees would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

RULES

New Delhi-1, *the 27th September* 1969

No. 4/9/68-*C.I.S., dated* 19-9-1969.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in April, 1970 for selection of Released Emergency Commission Officers/Short Service Commissioned Officers who were Commissioned in the Armed Forces after 1st November 1962, for the purpose of filling temporary vacancies reserved for them in Grade IV of the Central Information Service are published for general information, in pursuance of the provisions contained in rule 5 of the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Reservation of Vacancies) Rples, 1967. The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Reservation of Vacancies) Rules aforesaid shall cease to be in force on and from the 29th January 1971.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the under Public Service Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964 the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 and the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix III to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Union Public Service Commission.

4. Subject to the provisions of these Rules, all Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, and who have been released prior to the date of this notification, or are due to be released thereafter till the end of 1970, will be eligible to appear at this examination.

NOTE 1.—For the purpose of these Rules, 'release' means :

(i) actual release according to a phased programme in the case of Emergency Commissioned Officers,

(ii) actual release at the end of the tenure of their service in the case of Short Service Commissioned Officers,

(iii) invalidment owing to a disability attributable to or aggravated by military service,

from the Armed Forces after a spell of service, and not during or at the end of training, or during or at the end of Short Service Commission granted to cover the period of such training prior to being taken in actual service, nor does it cover cases of officers released on account of misconduct, or inefficiency or at their own request.

NOTE 2.—The candidature of a person is liable to be cancelled, if after submitting his application, he is granted permanent Commission in the Armed Forces, or he resigns from the Armed Forces, or he is released therefrom on account of misconduct, inefficiency or at his own request.

NOTE 3.—Engineers and Doctors employed under the Central Government or State Governments or Government owned industrial undertakings who are required to serve in the Armed Forces for a minimum prescribed period under the Compulsory Liability Scheme and who are granted Short Service Commission under the relevant rules during the period of such service will not be eligible for admission to this examination.

NOTE 4.—Officers belonging to the Volunteer Reserve Forces of the Armed Forces and called upon for temporary service will not be eligible for admission to this examination.

5. A candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon, and the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

(i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then.

(ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens of India under Article 6 of the Constitution.

(iii) Non citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, *viz.*, 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will however require certificate of eligibility in the usual way.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government

6. (a) A candidate must *not* have attained the age of 25 years on the 1st January of the year in which he joined the pre-commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post Commission training).

(b) The age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) upto a maximum eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiii) up to a maximum of three years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training), in 1963, is a *bona fide* displaced person from Pakistan;

(xiv) up to a maximum of eight years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission where there was only post Commission training), in 1963, belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Pakistan;

(xv) up to a maximum of four years if a candidate, who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post Commission training), in 1963 or 1964 or 1965, is a resident of the Andaman and Nicobar Islands; and

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate, who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training), in 1963 or 1964 or 1965, is an Indian citizen and is a repatriate from Ceylon.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

7. No candidate shall be permitted to compete more than two times at the examination.

NOTE.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

8. A candidate must hold a degree of any of the Universities enumerated in Appendix I to these rules, or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix II to these rules.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the forgoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Union Public Service Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Union Public Service Commission.

9. A candidate serving in the Armed Forces must submit his application for this examination to the Officer Commanding of his unit who will forward it to the Union Public Service Commission.

All other candidates in Government service must submit their applications for this examination to their Head of department or office concerned who were forward it to the Union Public Service Commission.

10. The decision of the Union Public Service Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Union Public Service Commission.

12 Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

13. A candidate who is or has been declared by the Union Public Service Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution ;

(a) be debarred permanently or for a specified period—

(i) by the Union Public Service Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government, from employment under them; and

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

14. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Union Public Service Commission in their discretion shall be summoned by them for the *viva voce*.

15. After the examination, the candidates will be arranged by the Union Public Service Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and, in that order so many candidates as are found by the Union Public Service Commission to have qualified by the examination shall, with due regard to the language offered by each candidate *vide* para. 4 of Appendix III to these rules, be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled in respect of each of the concerned languages. The candidates who are found by the Union Public Service Commission to have qualified by the examination, but are not recommended for appointment as aforesaid, will then be arranged in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each such candidate, irrespective of the language offered by him vide para. 4 of Appendix III to these rules, and in that order they shall be recommended for appointment up to the number of the remaining unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the Union Public Service Commission for the Service, is declared by them to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for appointment to vacancies reserverd for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, in the Service.

16. If on the result of the examination, a sufficient number of qualified candidates is not available to fill the vacancies reserved for released Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers, the unfilled vacancies shall be filled in the manner prescribed by the Government in this behalf.

17. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Union Public Service Commission in their discretion and the Union Public Service Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

18. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

19. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an Officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the *viva voce* by the Union Public Services Commission may be required to undergo medical examination.

20. (a) No male candidate who has more than one wife living or who having a spouse living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to the Service unless the Government of India, after being satisfied that there are special grounds for doing so exempt any male candidate from the operation of this rule.

(b) No female candidate whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to the Service unless the Government of India, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any female candidate from the operation of this rule.

21. Appointments will be made on probation for a period of two years The period of probation may be extended, if considered necessary.

22. Particulars of service for Grade IV of the Central Information Service are briefly stated in Appendix IV.

B. S. SINGH, Dy. Secy.

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India (vide *Rule* 8)

INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by and Act of the Central or State Legislature in India and other educational institutes established by an Act of Parliament, or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

UNIVERSITIES IN BURMA

The University of Rangoon.

The University of Mandalay.

ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

SCOTTISH UNIVERSITIES

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College).

The National University of Dublin.

The Queen's University, Belfast.

UNIVERSITIES OF PAKISTAN

The University of Punjab.

The Dacca University.

The University of Sind.

The Rajshahi University.

UNIVERSITY IN NEPAL

The Tribbuvan University, Kathmandu.

APPENDIX II

List of qualifications recognised for admission to the examination. (vide *Rule* 8).

1. Shastri of Kashi Vidyapith, Varanasi.

2. French Examination "Propedeutique."

3. Diploma in Rural Services of the National Council for Rural Higher Education.

4. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.

5. Diploma in Commerce of All India Council for Technical Education.

6. Diploma in Civil or Mechanical or Electrical or Chemical or Metallurgical or Mining Engineering of the All India Council for Technical Education.

6. Diploma in Chemical Technology or Industrial Chemistry or Architecture or Textile Technology or Art of the All India Council for Technical Education.

8. "Higher Course" of Shri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full student".

9. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.

10. Diploma in the field of Humanities and Natural Sciences attesting graduation from a Higher Educational Establishment in the U.S.S.R. without defending first scientific thesis but having passed the State Examinations.

APPENDIX III

(*vide* Rule 3)

1. The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I.—Written examination carrying a maximum of 300 marks for the papers as shown in para 2 below.

Part II.—*Viva Voce* for such of the candidates as may be called by the Commission carrying a maximum of 200 marks of which 50 marks shall be assigned to the Evaluation of the Record of Service in the Armed Forces.

2. The papers comprising the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each paper will be as follows :—

Paper	Max. Marks	Time allowed
(1) Current Affairs	100	3hrs.
(2) Translation from English to an Indian Language	50	1½ hrs.
(3) Translation from the Indian Language to English	50	1½hrs.
(4) Essay in the Indian Langauage concerned	100	3 hrs.

3. The syllabus for the examination will be as in the attached Schedule; and the question papers for the written examination will be the same as for the corresponding subjects in the scheme of the regular Central Information Service (Grade IV) Examination which will be held concurrently.

4. (i) Question paper (1) must be answered in English.

(ii) Candidates have the option to choose any *one* of the following languages for answering papers (2) and (4). Candidates *must* chose the *same* langauge for both the papers. They will be required to write their answers in the respective script indicated below :

Language	Script	Language	Script
Assamese	Assamese	Oriya	Oriya
Bengali	Bengali	Punjabi	Gurmukhi
Gujarati	Gujarati	Sanskrit	Devanagiri
Hindi	Devanagiri	Sindhi	Devanagiri or Arabic
Kannada	Kannada		
Kashmiri	Persian	Tamil	Tamil
Malayalam	Malayalam	Telugu	Telugu
Marathi	Devanagiri	Urdu	Persian

(iii) In case of paper (3), candidates will be required to translate into English from the language selected by them for answering papers (2) and (4).

NOTE. Candidates should clearly specify in column 8 of the application form, the name of the language in which they wish to answer papers (2) and (4) above. IF NO ENTRY IS MADE IN THE SAID COLUMN, THE APPLICATION WILL BE SUMMARILY REJECTED, AND NO APPEAL AGAINST ITS REJECTION SHALL BE ENTERTAINED. THE OPTION ONCE EXERCISED SHALL BE TREATED AS FINAL; AND NO REQUEST FOR ALTERATION IN THE SAID COLUMN SHALL BE ENTERTAINED.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Union Public Service Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all papers at the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written papers will be made for illegible hand-writing.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all papers of the examination.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

1. *Current Affairs.*—Including knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on Constitution of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study, and questions on the teachings of Mahatma Gandhi.

2. *Translation from English to an Indian Language.*

3. *Translation from an Indian Language to English.*

4. *Essay in the Indian Language concerned.*—Candidates will be required to write an essay in the Indian Language concerned. A choice of subjects will be given. They will be expected to keep closely to the subject of the Essay, to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression.

APPENDIX IV

(*vide* Rule 22)

Brief particulars relating to the Service to which recruitment is being made through this Examination.

The Central Information Service consists of posts, all over India, in various organisations of the Ministry of Information and Broadcasting, requiring journalistic and similar professional qualifications. The Service was constituted with effect from March 1, 1960.

2. The Service has at present the following grades :—

Grade	Scale of pay
CLASS I	
Selection Grade	Rs. 2500—125/2—2750
Senior Administrative Grade	
Senior Scale	Rs. 1800—100—2000
Junior Scale	Rs. 1600—100—1800
Junior Administrative Grade	
Senior Scale	Rs. 1300—60—1600
Junior Scale	Rs. 1100—50—1400
Grade I	Rs. 700—40—1100—50/2—1250
Grade II	Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950
Class II (Gazetted)	
Grade III	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800
Class II (Non-Gazetted)	
Grade IV	Rs. 270—10—290—15—410—EB—15—485

3. (i) Direct Recruitment is made to the percentage of vacancies as specified below, in the following grades of the Services.

Junior Administrative Grade—12½%

Grade I (Junior Scale)—25%

Grade II—50% of permanent vacancies only

Grade IV—100%

(ii) Vacancies in Grade III are filled, from amongst officers who have completed five years' approved service in a duty post in Grade IV or in any higher grade, on the recommendation of a Departmental Promotion Committee, on the basis of selection.

(iii) 50% permanent and all temporary vacancies in Grade II, 75% vacancies in Grade I and 87½% vacancies in the Junior Administrative Grade (Junior Scale) are filled by promotion by selection from amongst officers holding duty posts in the next lower grades.

(iv) Vacancies in the Selection Grade, Senior Administrative Grade (Senior Scale), and Senior Administrative Grade (Junior Scale), are filled by selection from amongst officers holding duty posts in the respective next lower grade. In case no suitable officer is available for such promotion, recruitment to such vacancies in the Selection Grade and Senior Administrative Grade is to be made in consultation with the Union Public Service Commission. Vacancies in the Junior Administrative Grade (Senior Scale) are filled by promotion on the basis of seniority-*cum*-fitness from amongst officers holding duty posts in the Junior Scale of that Grade.

(v) The Government can fill, in consultation with the Union Public Service Commission, in any grade a number of posts not exceeding 10% of the strength of that grade, by the appointment of officers of State Publicity Organisations on deputation, for such period not exceeding five years, as the Government may specify. The posts so filled are taken into account in determining the number of posts to be filled by promotion or by direct recruitment.

4. (i) Direct Recruits to Grade IV will be appointed in an officiating capacity against temporary posts. They will be on probation for two years from the date of appointment. The period of probation may be extended at the discretion of the appointing authority. If the work or conduct during the period of probation is such as to show that an officer is unlikely to become an efficient Grade IV officer of the Service he may be discharged forthwith or reverted to the substantive post, if any, on which he may hold lien. After the satisfactory completion of the probation, an officer will have no claim for substantive appointment to Grade IV and will continue in an officiating capacity and confirmed as and when permanent vacancies in Grade IV become available, in accordance with the rules in force.

(ii) During the period of probation the officers will be required to undergo training in the Indian Institute of Mass Communication, a newspaper or a news agency, in different media units of the Ministry of Information and Broadcasting. The total period of training will be one year. The period and nature of training will be liable to alteration by Government. During the course of the training or at its end, they will have to undergo such tests as the Government may prescribe. Failure to pass the tests during the training period involves liability to discharge from service or reversion to the substantive post, if any, on which the candidate may hold lien.

(iii) Pay and seniority of an officer appointed on selection through the Central Information Service (Grade IV) (Released Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers) Examination 1970, shall be fixed in accordance with rules issued by the Government from time to time.

5. An officer appointed to a post in Grade IV will be liable to serve anywhere in India. Government may post an officer to hold a field post in any organisation under the Ministry of Information and Broadcasting. Government may also require any member of the Service to hold, for a specified period, a post in the publicity organisation of a Union Territory.

6. As regards leave, contribution to the General Provident Fund, pension and other conditions of Service, Officers appointed to posts in the Central Information Service, are treated like other Class I and Class II officers of the Government.

NOTE : It should be clearly understood that the appointments would be subject to any change in the constitution of the Central Information Service which the Government of India may think proper to make from time to time and that the appointees would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969